न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4200 व 10963/2002/बांरा

1– प्रभूनाथ पुत्र भैरूनाथ
2– पन्नालाल पुत्र रंगलिया
3– रामेश्वर पुत्र प्रभूनाथ
जातिगण नाथ निवासी बलदेवपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्रीमती फूलाबाई पत्नि नंदलाल पुत्री गुडक्या जाति नाथ निवासी बलदेवपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा
2– राजस्थान सरकार

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित :
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थी/रेस्पोडेंट्स

दिनांक

निर्णय

1– ये दोनों द्वितीय अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–5–02 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोंनो अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है ऐसी स्थिति में हमारें द्वारा हस्तगत् दोनों अपीलों का निर्णय इस एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी बांरा में एक वाद रेस्पोडेंट वादी सं.1 ने बाबत् बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में प्रस्तुत कर 1/3 हिस्सा वादी के पृथक खाते में दर्ज करने कर निवेदन किया। उपखंड अधिकारी बांरा ने उभय पक्ष को सुनकर वाद जरिये निर्णय दिनांक 22—1—93 द्वारा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर रिमाण्ड की गई। रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने द्वितीय अपील राजस्व मंडल में पेश की जो मंडल ने निर्णय दिनांक 19—9—97 द्वारा निरस्त कर दी। रिमाण्ड आदेश की पालना में उपखंड अधिकारी बांरा ने आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 31—1—01 द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 18—5—01 द्वारा अंतिम डिक्री पारित कर दी। उक्त दोनों निर्णयों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निर्णय व डिक्री दिनांक 22—5—02 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 22—5—02 से व्यथित होकर ये दोनों द्वितीयें अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकोर्ड के प्रतिकूल है। नानूनाथ ने दिनांक 9—10—79 को अपीलार्थी सं.3 रामेश्वर के पक्ष में वसीयत की थी तथा नानूदार की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण सं. 20 स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध वादी ने कोई चाराजोही नहीं की। उक्त बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया। वादी द्वारा वसीयत का खंडन भी नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण का 1/4—1/4 हिस्सा था किंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का 1/3 हिस्सा मानकर डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थीगण को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादी द्वारा दावा 1990 में किया गया था जिसमें प्रभूलाल पक्षकार था। प्रभूदयाल की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में कहीं भी वसीयत का जिक्र नहीं किया गया तथा वसीयत को सिद्ध करने हेतु कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये गये। परीक्षण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात् निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवारे से सबंधित है। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर सात विवाद्यक निर्मित किये। इनमें से हमारी सुविचारित राय में विवाद्यक सं.3 मुख्य विवाधक है, जो वसीयत के सबंध में निर्मित की गई है तथा अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस मुख्यतः वसीयत के बिन्दु पर केन्द्रित थी। परीक्षण न्यायालय ने विवाद्यक सं. 3 को निर्णित करते हुये स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी रामेश्वर वसीयत के आधार पर अपने आप को मृतक नेनूनाथ का उत्तराधिकारी घोषित होने व वसीयत के आधार पर अधिकारों का क्लेम करता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नेनूनाथ अन्धा व्यक्ति था। इस कारण वसीयत के सबंध में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज पर सक्षमता से गोर किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें तीनों गवाह एक ही परिवार के सदस्य तीन सगे भाई है एवं हितबद्ध है। वसीयत को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी अपीलार्थी रामेश्वर पर था। रामेश्वर ने इस सबंध में कोई निष्पक्ष गवाह वसीयतनामा प्रमाणिकरण के सबंध में परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जहां निष्पादक अन्धा

हो, उस स्थिति में यह तथ्य ओर भी महत्वपूर्ण है कि वसीयतनामें का प्रमाणीकरण निष्पक्ष साक्ष्य द्वारा कराया जाना विधि एंव न्यायसंगत है। लेकिन इस प्रकरण में लिखने वाले छोटेलाल अरजीनवीस साक्ष्य कन्हैयालाल गुजर जिन्दा होना प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में बताया, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं करना वसीयत की सत्यता में संदेह उत्पन्न करता है। स्टाम्प बांरा से खरीद कर लिखा–पडी मांगरोल में की गई है। स्टाम्प खरीदने बाबत् गवाह पुष्पदयाल ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में विशेष तथ्य है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित दो मृत्यु प्रमाण पत्र वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु दिनांक 24–7–78 अंकित है जो दिनांक 30–3–01 को जारी किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 2–3–01 को जारी किया गया है तथा सन् 1982 को नेनूनाथ की मृत्यु होना बताया गया है। दोनों प्रमाण पत्र एक ही सरपंच द्वारा जारी किये गये है। उक्त प्रमाण पत्रों से वसीयत की सत्यता में गहन सन्देह उत्पन्न होता है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी/विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध तय करते हुये वसीयत को फर्जी माना है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवाद्यक सं. 4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को उचित ठहराया है तथा अपीलार्थीगण की प्रथम अपील खारिज की है।

8– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की पालना नहीं की गई है। हमारी सुविचारित राय में जहां परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्मित विवाद्यक/तनकीयों के निर्णय पर अपीलीय न्यायालय का विरोधाभास अथवा विपरीत मत नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा विरचित समस्त विवाद्यक पर अपना मत प्रकट करे। अतः अभिभाषक अपीलार्थी के उक्त तर्क से कोई बल प्राप्त नहीं होता तथा अपीलांट द्वारा मंडल में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के मुख्य आधार उक्त तर्को से आधारहीन हो जाते है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद दावे एवं जवाबदावें के आधार पर निर्मित विवाद्यकों का निस्तारण करते हुये विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ सही रूप से डिक्री किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को ही पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है। इस प्रकार तथ्यात्मक बिन्दुओं पर दोनों ही न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष हैं और यह निष्कर्ष परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक

साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं। अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील ज्ञापन में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षण न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि हस्तगत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर आलोच्य आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

9— उपरोक्त पेरा 7 व 8 में की गयी विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि परीक्षण न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31—3—01 व अंतिम डिक्री दिनांक 18—5—01 और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री 22—5—02 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय दोनों अपीलें निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यपूर्ण त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

10— परिणामतः हस्तगत दोनों द्वितीय अपीले सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना अभिभाषक उभय पक्ष के दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य